तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मुकदमा संख्या 23/2022

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/7/22 पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 21.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बाबत राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती विरूद्ध अप्रार्थी पेश करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी की तलबी जारी की जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों बाबत व मौका व रिकार्ड से जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्र कमांक भू. अ. /2022/1914 दिनांक 04.07.2022 के जांच रिपोर्ट पेश की गई। जिसके अनुसार ग्राम कुलोद खुर्द की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 5 किता 7 रकबा 5.06 है0 एवं खाता संख्या 124 किता 8 रकबा 5.07 है0 की ग्राम कुलोद खुर्द की जमाबन्दी सम्वत 2029–32 के खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 42/3 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा भूमि सुरजा पुत्र नंदा के नाम थी। जमाबन्दी सम्वत 2034–37में वक्त रोटेशन 42/3 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा के बजाय 42/2 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा सुरजा पि0 नंदा के नाम दर्ज है। उक्त अशुद्वि आगे भी जारी रहे। यह है कि ग्राम कुलोद खुर्द की जमाबन्दी सम्वत 2029–32 के दर्ज खसरा नम्बर 42/2 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा भूमि हीरा बजरंग रूपा सेडुराम पि0 डालू के नाम दर्ज थी एवं जमाबन्दी सम्वत 2034–37 में भी खसरा संख्या 42/2 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा भूमि हीरा बजरंग रूपा सेडूराम पि0 डालू के नाम से दर्ज रही तथा जमाबन्दी सम्वत2042–45 के खाता संख्या 85 में खसरा संख्या 42/3 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा भूमि हीरा रूपा बजरंग सेडूराम पि0 डालू के नाम दर्ज हो गई। उक्त अशुद्वि आगे भी जारी रही। यह कि दौराने वक्त भू–प्रबन्ध खसरा नम्बर 42/2 के नये खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136, 137, 136/524 किता 6 रकबा 5.03 है0 है तथा खसरा नम्बर 42/3 के नये खसरा नम्बर 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 किता 7 रकबा 5.04 है0 बने है। यह है कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 166 रकबा 0.03 है0 भूमि में कोई अशुद्वि नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 166,166/531 हाल जमाबन्दी अनुसार सही खातेदारी में दर्ज है व खातेदारी अनुसार ही मौके पर काबिज है। यह कि बिन्दु संख्या 4 की प्रस्तावित प्रविष्टि अनुसार यह खातेदार मौके पर काबिज काश्त है । प्रस्तावित प्रविष्टि अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्वि किया जाना उचित जताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की गई है। जो शामिल मिसल की गई। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे राजस्व रिकार्ड में उक्त अशुद्विया दौराने सेटलमेन्ट के दौरान होना जाहिर होना है। जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है जो

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

दुरूस्त की जानी न्यायालय मत पर उचित व न्यायोचित है। अतः बाद रिपोर्ट तहसीलदार दिनांकित 4.07.2022 के अनुसरण में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अशुद्व प्रविष्टि को रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू के बिंदु संख्या 4 में प्रस्तावित प्रविष्टि के अनुसार निम्नानुसार दुरूस्त किया जाता है। खाता संख्या 124 के खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136, 136/524, 137 कुल किता 6 कुल रकबा 5.03 के खातेदार ईश्वर सिंह पुत्र सुरजा हिस्सा 1/3 जाति जाट राहिन आईडीबीआई बैंक झुन्झुनू, रामकुवार पुत्र सुरजा हिस्सा 1/3 जाति जाट वगै0 शेष बदस्तूर जमाबदी के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि उर्मिला कमला पुत्री सेडुराम हिस्सा 1/40 जाति जाट, जयकोरी पुत्री डालु हिस्सा 1/6 जाति जाट वगै0 शेष बदस्तूर जमाबंदी एवं खाता संख्या 124 के खसरा नम्बर 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 कुल किता 7 कुल रकबा 5.04 है0 के खातेदार उर्मिला कमला पुत्री सेडुराम हिस्सा 1/40 जाति जाट, जयकोरी पुत्री डालू हिस्सा 1/16 जाति जाट वगै शेष बदस्तूर जमाबंदी के स्थान पर ईश्वर सिंह पुत्र सुरजा हिस्सा 1/3 जाति जाट रहन आईडीबीआई बैंक झुन्झुनू, रामकुमार पुत्र सुरजा हिस्सा 1/3 जाति जाट वगै0 शेष बदस्तूर जमाबंदी करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

27.07.22
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)